

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

1. सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721-24 फेक्स : 0294-2411417
ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in. Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक- एफ 3(ए)(29)शिक्षा/सीटीएडी/विद्या संबल योजना/2021-22/00270/40110-24 दिनांक :- 12-12-2023

विद्या संबल योजना के दिशा-निर्देश एवं संचालन प्रक्रिया

विद्या संबल योजना के तहत विभागीय आश्रम/खेल छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग हेतु गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. योजनान्तर्गत गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी को कठिन विषय माना जावेगा।
2. योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी लाभान्वित किये जायेंगे।
3. योजनान्तर्गत प्रस्ताव/आवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आमंत्रित किये जावेंगे।
4. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेंगा।
5. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :- जिला स्तरीय अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग छात्रावासवार (राशि रुपये 75000/- बजट के आधार पर) अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों/निजी अभ्यर्थियों को परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी बेस पर ही ली जा सकेंगी।
6. गैस्ट फैकल्टी के चयन हेतु गठित समिति निम्नानुसार होगी :-
 - अनुसूचित क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नॉडल अधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होंगे, जिसमें अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा।
 - सहरिया क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नॉडल अधिकारी संबंधित जिला के अतिरिक्त कलक्टर एवं पदेन परियोजना अधिकारी सहरिया विकास होंगे, जिसमें एक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा।
 - अनुसूचित क्षेत्र के पाली, चित्तौडगढ़ जिले व गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समस्त जिलों में नॉडल अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होंगे, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा।
7. विभागीय आश्रम/खेल छात्रावासों में गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है, जिसका विस्तृत विवरण एवं आवेदन का लिंक विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के होम पेज पर "Apply For Guest Faculty Under Vidhya Sambal Scheme" उपलब्ध है।
8. आवेदन करने की अन्तिम तिथी 17.12.2023.
9. अभ्यर्थी एक ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता/सकती है। यदि एक से अधिक छात्रावास में आवेदन किया जाता है तो प्रथम छात्रावास हेतु आवेदन मान्य होगा।
10. वरियता सूची संबंधित जिला स्तरीय कार्यालयों को 22.12.2023 को भेज दी जायेगी व जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित कार्मिकों की सूची 26.12.2023 तक जारी करा दिनांक 02.01.2024 तक समस्त छात्रावासों में कोचिंग प्रारम्भ करना सुनिश्चित करावें।
11. वरियता सूची में समान अंक/प्रतिशत होने की स्थिति में उच्च योग्यताधारी एवं छात्रावास के नजदीकी निवास करने वाले आवेदक को ही प्राथमिकता दी जावेगी।

12. आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित योग्यता/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर संलग्न प्रारूप के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जावेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवायें वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
13. यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक शैक्षणिक सत्र (2023-24) के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू होगी तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकेगा।
14. विभागीय छात्रावासों गैस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की दरें निम्नानुसार रहेगी :-

पदनाम (अध्यापक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय	योग्यता
ग्रेड-II	9-10	350/-	25000	बी.एस.सी.-बी.एड., बीए-बी.एड./बी. टेक.
ग्रेड-I	11-12	400/-	30000	एमएससी, बी.एड., एम.ए., बी.एड. / बी.टेक

15. विभागीय छात्रावासों में कक्षा 9वीं व 10वीं के कठिन विषयों अंग्रेजी, गणित व विज्ञान एवं कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी व ऐच्छिक विषयों (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान/गणित) हेतु प्रति छात्रावास अधिकतम 75000/- रुपये प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए देय होगा। जिलाधिकारी उपलब्ध बजट सीमा/आंवटित बजट सीमा तक इसका उपयोग कर सकेंगे।
16. विभागीय छात्रावासों में कोचिंग देने वाले गैस्ट फैकल्टी की उपस्थिति वार्डन द्वारा आगामी माह की 2 तारीख तक संबंधित जिला कार्यालय को भुगतान हेतु भिजवाये जाने की कार्यवाही पूर्ण करावें व संबंधित जिला कार्यालय द्वारा गैस्ट फैकल्टी के मानदेय का भुगतान आगामी माह की 7 तारीख तक कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
17. कोचिंग मानदेय का भुगतान कोचिंग देने वाले गैस्ट फैकल्टी के बैंक खाते में ही जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
18. कोचिंग मानदेय का भुगतान अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों हेतु आश्रम छात्रावास संचालन के उपमद 41 में से एवं खेल छात्रावासों के लिए खेल छात्रावास संचालन के उपमद 29 में से किया जावेगा।
19. गैस्ट फैकल्टी की सेवायें लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना समुचित किया जावेगा।
20. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। प्रति दिन व्हाट्सएप्प ग्रुप पर कोचिंग के फोटोग्राफ डालने पर ही उस दिन का भुगतान देय होगा।
21. प्रक्रिया का विनिर्णय :- इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

क्रमांक- एफ 3(ए)(29)शिक्षा/सीटीएडी/विद्या संबल योजना/2021-22/00270/40110-24 दिनांक :-12-12-2023
प्रतिलिपि - सूचनार्थ ।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि- निम्न को भेजकर लेख है कि विद्या संबल योजना के तहत छात्रावासों में गैस्ट फैंकल्टी हेतु उच्च योग्यताधारी अधिक से अधिक कार्मिकों के आवेदन प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,।

2. अतिरिक्त कलक्टर एवं पदेन परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बांरा)।

3. उपायुक्त, टीएडी, उदयपुर/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/बांसवाड़ा/आबूरोड़ (सिरोही)।

प्रतिलिपि- सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

1. संयुक्त निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।

2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।

3. प्रभारी अधिकारी, माडा/सहरिया/खेल, कार्यालय हाजा।

4. परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।

5. आदेश पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Tara Chand Meena
Designation: Commissioner
Date: 2023.12.12 10:08:56 IST
Reason: Approved